राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सजना देवी बनाम रामेश्वर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/10/2025 को पेश हो।	
07.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार(कुटुम्ब) के सदस्य है तथा पक्षकारान की पैतृक एवं शामिलाती कृषि भूमि ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादपत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 11 की पैतृक एवं मौरूसी सम्पत्ति खाता संख्या 145 खसरा नम्बरान 1066 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.64 हैक्टेयर, कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 4.29 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 1070/1751 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम पवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 2/8, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का हिस्सा 4/8 एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 का हिस्सा 1/8 निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व. बोदू की विवाहित पुत्री है। जिसकी सम्पत्ति उसके ससुराल में है, पीहर में उसका कोई हक़ हिस्सा नही है। खाता संख्या 186 में खसरा नम्बर 192 रकबा 0.95 हैक्टयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 2.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा निहित है। स्व. बोदू पुत्र खेमाराम ने अपने भाई श्रवणलाल व उसकी पत्नी से शंकर पुत्र श्रवण को 5-6 वर्ष की उम्र में ही स्वेच्छापूर्वक गोद ले लिया था, जिसका बोदूराम ने ही पालन-पोषण किया, पढ़ाया-लिखाया, शादी-विवाह किया तथा समाज के व परिवार के लोगो के समक्ष गोद पुत्र मानकर अपना वारिस घोषित किया। स्व. बोदू की मृत्यु के बाद शंकर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सजना देवी बनाम रामेश्वर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी संख्या 3 ने ही उसका अन्तिम संस्कार किया, कर्म, पिण्डदान आदि किये तथा पगड़ी दस्तूर भी शंकर वादी संख्या 3 के द्वारा ही किया गया था | जिससे बोदू का एकमात्र वारिस वादी संख्या 3 ही है | प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमती सजना शादीशुदा पुत्री है | उसका वादग्रस्त भूमि में कोई हक़ हिस्सा नही बनता है | प्रतिवादीयां संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारीयो से साज करके बोदू के विरासत का नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 12/01/2007 अवैध रूप से तस्दीक करवा लिया जो वादी संख्या 3 के हक़ अधिकारों के मुकाबले प्रभावहीन व बेअसर है | बोदू पुत्र खेमाराम का विरासत नामान्तकरण बिना कोई जाँच किये गुपचुप में तस्दीक किया गया है तथा इसी अवैध एवं नुमायशी नामांकन के आधार पर वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीया संख्या 1 अब बैचान करने की फ़िराक में है | वादग्रस्त भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक एवं मौरूसी सम्पत्ति है तथा अविभाजित सम्पत्ति है | प्रतिवादीया संख्या 1 अपने ससुराल में रह रही है | उसका कोई हक़ हिस्सा शेष नही रहा है | वादग्रस्त भूमि पर मनबट से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 11 ही काबिज काश्त होकर गत 20-25 वर्षो से लगान सरकारी अदा करते आ रहे है | प्रतिवादीयां संख्या 1 का कोई कब्जा नही है | वादी संख्या 1 अपने गोद पिता की सम्पत्ति को कानूनन प्राप्त कर घोषणा हक़ खातेदारी कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है | दिनांक 13/10/2008 को प्रतिवादीयां संख्या 1 अपने ससुराल से गाँव पवालिया में कुछ लोगो के साथ आयी तथा वादीयान को धमकी देने लगी कि बोदूराम की जमीन का नामान्तकरण उसके नाम हो गया है | अब वे जमीन का बैचान करेगी, तुम लोग खरीदना चाहो तो खरीद लो वरना में अन्य लोगो को बैचान करूंगी | वादीयान ने कहा कि बोदुराम का दत्तक पुत्र शंकर है | उसका ही बोदूराम की सम्पत्ति में हक़ बनता है तथा वो ही बरसों से काबिजकाश्त है | तुम कैसे जमीन का बैचान कर दोगी तब प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि अब तो वह अवश्य ही बैचान करके रहेंगी, जिससे दावा घोषणा, तकासमा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजिमी हुआ | वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणा इस अमर की सादर फरमाई जावे कि विवादित आराजीयात जिसका वर्णन वाद पत्र में किया गया है में वादी संख्या 3 का हक़ हिस्सा बोदूराम का दत्तक पुत्र होने से 1/8 है तथा वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित आराजीयात में वादी संख्या 3 का 1/3 हक़ हिस्सा का खातेदार काश्तकार है | प्रतिवादीयां मृत्तक बोदूराम की विवाहित पुत्री होने के कारण वादग्रस्त भूमि में उसका कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है | राजस्व अभिलेख से उसका नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 3 के नाम

खातेदारी इन्द्राज दुरुस्त की जावे | एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगा. 11 की तामील चस्पांन्दगी से होना मानते हुये प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगा. 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21/06/2010 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गयी एवं तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 28/10/2010 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 30/11/2010 पारित किया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिसमे उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात के मुताबिक विभाजन की अन्तिम डिक्री के विरुद्ध अपीलार्थीयां द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से अपीलार्थीयां द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मुख्य रूप से यही आपत्ति उठाई गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयां की विधिवत तामील करवाये बगैर ही गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है एवं अपीलार्थीयां की राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी के अंकन को हटाकर रेस्पो. संख्या 3 को खातेदार व हकदार घोषित करने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है तथा रेस्पो. संख्या 16 व 17 ने अपीलार्थीयां को मुगालता देकर जमीन का बैनामा करा लिया तथा कोई प्रतिफल भी अदा नही किया | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात विभाजन की अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुये अलग खाता व लगान कायम किया गया है एवं अपीलार्थीयां द्वारा अपनी अपील के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियां प्राथमिक डिक्री से सम्बन्धित है एवं कानूनन उक्त आपत्तियो को प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में ही उठाया जा सकता है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सजना देवी बनाम रामेश्वर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलार्थीयां द्वारा जो आपत्तियां उठाई गयी है, वह औचित्यहीन जाहिर होती है। कानूनन भी अन्तिम डिक्री पारित करते वक्त विचारण न्यायालय को कुर्रेजात एवं उसके माध्यम से किये गये विभाजन का ही परीक्षण करना होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीयां द्वारा अपील के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियां विधिसम्मत प्रतीत नही होती है। अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थीयां आधारहीन होना सिद्ध से ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर